# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब -साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656354-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/3879 दिनांकः– 27/08/2022

## –:कार्यवाही विवरण:–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन पूर्व की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 22.08.2022 को उपायुक्त (पूर्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:–

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 01 | राजस्व ग्राम श्री यादे गांव के खसरा संख्या 92, 93 रकबा 136 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। |

समिति को अतगत करवाया गया कि :–

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पैरा संख्या 14/एन पर पटवारी/आई.एल.आर द्वारा की गयी रिपोर्ट अनुसार मौके पर 11 प्रतिशत निर्मित है।
2. सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 187132.99 वर्गमीटर है।
3. प्रश्नगत खसरान् अवाप्ति शाखा से रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
4. विधि शाखा की रिपोर्ट पैरा संख्या 07 पर अवलोकनीय है। उक्त रिपोर्ट अनुसार इस प्रकरण के संबंध में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 03 जोधपुर महानगर में वाद संख्या 19/2022 लंबित हैं। विधि रिपोर्ट अनुसारमाननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 25.02.2022 खसरा संख्या 92 व 93 का ले–आउट अनुमोदित करने से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है।
5. भूमि में से जोनल प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही हैं।
6. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 व 41 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार पर 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 21 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड सर्वेयर मानचित्र में क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है–

| क्र.सं. | प्रयोजन | एरिया वर्गमीटर | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय | 109902.98 | 58.73 |
| 2. | आवासीय ई.डब्ल्यू.एस. | 4955.39 | 2.65 |
| 3. | सुविधा क्षेत्र | 1412.13 | 00.75 |
| 4. | पार्क | 8867.17 | 4.74 |
| 5. | सड़क | 61995.32 | 33.13 |
| | कुल | 187132.99 | 100 |

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 प्रश्नगत खसरान् अवाप्ति शाखा से रिपोर्ट ली जावे।
2. भूमि में से गुजर रही जोनल प्लान की सड़क का अंकन किया जावे।

सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण | उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण | नवनीत राज त्रिवेदी अधिशाषी अभियन्ता

3. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. प्रश्नगत भूमि तक पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर पर कि जायेगी। ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
6. सर्वे प्लान में दर्शाये गये हॉसपीटल भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र अंकित किया जाये।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 02 | राजस्व ग्राम डिगाडि के खसरा संख्या 165/2 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में नवीन सुपरइंपोजिशन अनुसार मानचित्र में आंशिक संशोधन बाबत। |

समिति को अतगत करवाया गया कि :–

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पैरा संख्या 02/एन पर पटवारी/आई.एल.आर द्वारा की गयी रिपोर्ट अनुसार मौके पर 18 प्रतिशत निर्मित है।
2. सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 30330.53 वर्गमीटर है।
3. प्रश्नगत खसरान् अवाप्ति शाखा से रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
4. प्रश्नगत खसरान् विधि शाखा से रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 15 व 16 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार पर 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड सर्वेयर मानचित्र में क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है–

| क.सं. | प्रयोजन | एरिया वर्गमीटर | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय | 20963.78 | 69.11 |
| 2. | सडक | 9366.75 | 30.89 |
| | कुल | 30330.53 | 100.00 |

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में प्रश्नगत खसरान् अवाप्ति शाखा से रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा नहीं होने बाबत विधि शाखा की रिपोर्ट ली जावे।
3. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 03 | राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 70, 71 व 72 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में नवीन सुपरइंपोजिशन अनुसार मानचित्र में आंशिक संशोधन बाबत। |

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया–

1. भूमिगत एच.टी लाईन में नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशाषी अभियन्ता

2. एम्पार्वड कमैटी बैठक दिनांक 27.09.2018 द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही सड़क मार्गाधिकार रखा जाना होगा।

| तहसीलदार (पूर्व) | सहायक नगर नियोजक(पूर्व) | अधिशाषी अभियन्ता | उपायुक्त (पूर्व) |
|---|---|---|---|
| जोधपुर विकास प्राधिकरण | जोधपुर विकास प्राधिकरण | जोधपुर विकास प्राधिकरण | जोधपुर विकास प्राधिकरण |

सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी अधिशाषी अभियन्ता

उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/3880–3885 दिनांक 27/08/2022

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर

25/08

सहायक नगर नियोजक (पूर्व)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

जोन स्तरीय समिति की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 22.08.2022 को उपायुक्त (पूर्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 2. | श्री नवनित त्रिवेदी, अधिशाषी अभियंता, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. | श्री राकेश जैन, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. | श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 5. | श्री सौरभ गहलोत, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

25/08

सहायक नगर नियोजक (पूर्व)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर